म.प्र.पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन अंतर्गत कंपनी)

द्वारा विज्ञापित

विभिन्न स्तरीय रिक्त पदों पर भर्ती हेतु

नियम पुस्तिका

(2025)

MPPHSCL

1. मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में संविदा आधार पर निम्नानुसार रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिये एम.पी ऑनलाईन के माध्यम से योग्य अभ्यर्थियो से आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

2. **पदों का विवरण :–**

क्र.	रिक्त पद (पदनाम)	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षण की स्थिति राज्य स्तरीय	मासिक संविदा पारिश्रमिक (संविदा नियुक्ति हेतु प्रतिमाह ₹)	नियुक्ति का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बायोमेडिकल इंजीनियर	5	UR – 01 OBC – 02 ST – 02	56,100/-	संविदा
2.	फार्मासिस्ट	9	UR – 04 OBC – 03 ST – 01 EWS – 01	42,700/-	संविदा
3.	संभागीय फार्मासिस्ट	2	UR – 01 OBC – 01	42,700/-	संविदा

3. उपरोक्त तालिका में आरक्षण 100 बिंदु रोस्टर के अनुसार श्रेणी वार दर्शाया गया है। आरक्षण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के नियम लागू होंगें।
4. उक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से संविदा नियुक्ति की स्थिति में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को मासिक संविदा पारिश्रमिक प्रतिमाह देय होगा तथा नियमानुसार प्राविडेंट फंड (PF) का लाभ दिया जावेगा।
5. अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2025 की स्थिति में निर्धारित की जावेगी। आयु सीमा में छूट सामान्य प्रशासन विभाग के नियम/निर्देश अनुसार देय होगी।
6. **शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव :–**
   उपरोक्त पदों हेतु अनिवार्य एवं वांछनीय शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव Annexure'A' अनुसार निर्धारित है।
7. **चयन प्रक्रिया :–**

7.1 **उपरोक्त पदों हेतु ऑनलाईन आवेदन की तिथियॉ –**

विवरण	दिनांक (सम्भावित)
ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन प्रारंभ होने की तिथि	03/04/2025
ऑनलाइन पंजीयन, आवेदन शुल्क भुगतान एवं आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	02/05/2025
ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने हेतु तिथि	01/05/2025 से 04/05/2025

उपरोक्त तिथियॉ आवश्यकता अथवा अन्य कारणों से परिवर्तित की जा सकती है।

7.2 आवेदन के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित स्वप्रमाणित दस्तावेजो को स्कैन कर अपलोड करना होगा। इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

(i) हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) की अंकसूची।
(ii) उपरोक्त पदों हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची।
(iii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि।
(iv) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण–पत्र।
(v) योग्यता डिग्री के पश्चात का कार्यानुभव संबंधी प्रमाण–पत्र।
(vi) अंतिम कार्यस्थल पर नियुक्ति पत्र एवं अंतिम माह की वेतनपर्ची
उपरोक्त अभिलेखों के साथ अभ्यर्थी अन्य अभिलेख जैसे– DCA/PGDCA या अन्य कम्प्यूटर कोर्स/डिग्री/अनुभव आदि को भी आवेदन के साथ अपलोड कर सकता है।

7.3 एम.पी.ऑनलाईन के द्वारा उपरोक्तानुसार ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों की शार्टलिस्टिंग तथा विस्तृत परीक्षण किया जावेगा।

7.4 अभ्यर्थियों की परीक्षा MP Online द्वारा आयोजित की जावेगी। परीक्षा उपरांत सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जावेगा। साक्षात्कार की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों की सूची MP Online की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।

7.5 वरीयता निर्धारण हेतु दशमलव के बाद 2 अंको तक को विवेचना में लिया जावेगा।

7.6 वरीयता सूची में 2 या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा समतुल्य अंक प्राप्त किये जाने की स्थिति में वरीयता का क्रम निम्नानुसार होगा :–

क– अधिक अनुभवी अभ्यार्थियों को कम अनुभव वाले अभ्यर्थियों पर प्राथमिकता।

ख– अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यार्थियों को कम शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों पर प्राथमिकता

ग– कम्प्यूटर संबंधी ज्ञान वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता।

7.7 वरीयता सूची के संबंध में चयनित आवेदकों को ई–मेल व मोबाईल द्वारा सूचित किया जावेगा। अतः आवेदक अपना मोबाईल नम्बर तथा ई–मेल आई.डी. की सटीक जानकारी आवेदन पत्र में अंकित करें। गलत जानकारी के कारण आवेदकों को सूचना न मिलने हेतु म.प्र.पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MPPHSCL)/एम.पी.ऑनलाइन (MP Online) जिम्मेदार नहीं होगा।

7.8 एम.पी.ऑनलाइन (MP Online) द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (प्रत्येक पद हेतु 05 गुना अभ्यर्थी) तैयार कर MP Online तथा MPPHSCL की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जावेगी। वरीयता सूची अनुसार समस्त पदों के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार MPPHSCL की "एच. आर. कमेटी/चयन समिति" के द्वारा किया जावेगा। साक्षात्कार उपरांत अंतिम प्राप्तांकों के आधार पर "एच. आर. कमेटी/चयन समिति" के द्वारा प्रबंध संचालक को चयनित अभ्यर्थी की अनुशंसा की जावेगी।

7.9 एच.आर. कमेटी/चयन समिति के द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर पात्र अभ्यर्थी को नियुक्त करने का निर्णय प्रबंध संचालक के द्वारा किया जावेगा जो अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। रिक्त पदों हेतु योग्य अभ्यर्थी प्राप्त न होने की स्थिति में प्रबंध संचालक द्वारा संबंधित पद/पदों की संपूर्ण चयन प्रक्रिया को निरस्त किया जा सकता है।

7.10 प्रत्येंक पद हेतु चयनित अभ्यर्थी को छोड़कर वरीयता क्रम में अभ्यर्थियों को शामिल कर एक प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी। चयनित अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में इस प्रतीक्षा सूची से, वरीयता क्रम में अभ्यर्थियों को संबंधित पद पर नियुक्त किया जावेगा। उक्त प्रतीक्षा सूची 01 (एक) वर्ष हेतु मान्य होगी।

7.11 चयन प्रक्रिया में अंतिम निर्णय के अधिकार प्रबंध संचालक, MPPHSCL को हैं तथा चयन प्रक्रिया को किसी भी स्तर पर स्थगित/निरस्त करने के संपूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक को है जो कि सर्वमान्य एवं बंधनकारी होंगे।

7.12 किसी भी प्रकार के न्यायालयीन वाद का स्थान भोपाल होगा।

मुख्य महाप्रबंधक (वित्त/प्रशासन)
म.प्र.प.हे.स.कॉर्पो.लि.भोपाल